रजिस्ट्री सं. डीएल(एन)-04/0007/2003—05 REGISTERED No. DL(N)–04/0007/2003—05

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 17—जनवरी 23, 2015 (पौष 27, 1936)

No. 3] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 17—JANUARY 23, 2015 (PAUSA 27, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग IV
[PART IV]

[गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन और सूचनाएं]

[Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies]

NOTICE

NO LEGAL RESPONSIBILITY IS ACCEPTED FOR THE PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES IN THIS PART OF THE GAZETTE OF INDIA. PERSONS NOTIFYING THE ADVERTISEMENTS/PUBLIC NOTICES WILL REMAIN SOLELY, RESPONSIBLE FOR THE LEGAL CONSEQUENCES AND ALSO FOR ANY OTHER MISREPRESENTATION ETC.

BY ORDER

Controller of Publication

PUBLIC NOTICE

It is for general information that I YADVINDER KUM9AR Son of Sh. RAMPHAL Residing at H.No.16B, Block D, Gali No. 9/6, Shyam Vihar, Ph-I, Najafgarh, New Delhi-43 declare that name of mine has been wrongly written as YADVINDER KUMAR VASHIST in my son's MOHIT KUMAR VASHIST 10th and 12th educational documents and in the other documents. The actual name of mine is YADVINDER KUMAR respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

YADVINDER KUMAR
[Signature of Applicant]

It is for general information that I KAMALJEET Wife of RAMESH CHANDER residing at A-112, Rajeev Nagar, Begampur, Delhi-110086 declare that name of mine has been wrongly written as KAMALJEET KAUR in my son's NEERAJ KUMAR 10th &12th educational documents and in the other documents. The actual name of mine is KAMALJEET respectively which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

KAMALJEET
[Signature of Applicant]

It is general information that I RAJESH KUMAR son of Late SHRI CHARANJIT LAL residing at A-246, gali no-13, shyam colony, budh vihar phase-2, Delhi-110086 declare that name of my father has been wrongly written as SH C LAL in my driving license and in the other document. The actual name of my father is Late SHRI CHARANJIT LAL respectively, which may be amended accordingly.

It is certified that I have complied with other legal requirements in this connection.

RAJESH KUMAR
[Signature of Applicant]

नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड
मुंबई–400051

प्रतिभूति संविदा (विनियम) नियम, 1957 के नियम 18 की अपेक्षाओं के अनुसार नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड की उप–विधियों के (फ्यूचर एंड आप्शन खंड) प्रस्तावित संशोधन, जैसाकि नीचे दिए गए हैं, सामान्य खंड अधिनियम, 1897 की धारा 23 के प्रावधानों के अनुसार आलोचना के लिए भारत के शासकीय राजपत्र में प्रकाशित किए जाते हैं। उप–विधियों (फ्यूचर एंड आप्शन खंड) के लिए प्रस्तावित संशोधनों पर किन्हीं प्रेक्षणों को रखने वाला कोई व्यक्ति इसे लिखित में अधोहस्ताक्षरी को राजपत्र में इस प्रकाशन की तारीख से पन्द्रह दिन के अंदर एक्सचेंज प्लाजा, प्लाट सी–1, ब्लाक–जी, बांद्रा–कुर्ला काम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई–400 051 को भेज सकता है। 15 दिन की उपरोक्त अवधि के पश्चात प्राप्त प्रेक्षणों पर प्रस्तावित संशोधनों पर विचार करते समय ध्यान में नहीं रखा जाएगा।

1. यह प्रस्ताव है कि मौजूदा संपूर्ण अध्याय–XII को निम्नलिखित नए अध्याय–XII के साथ प्रतिस्थापित किया जाए :

उद्धरण चिन्ह शुरू

अध्याय–XII : मूलभूत निपटान गारंटी निधि

1. मूलभूत निपटान गारंटी निधि (सीएसजीएफ) का उद्देश्य

क्लीयरिंग कारपोरेशन के पास विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज के संबंधित खंड में निष्पन्न सौदों की निपटान गारंटी के लिए विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज के प्रत्येक खंड के संबंध में प्रत्येक क्लीयरिंग खंड के लिए मूलभूत निपटान गारंटी निधि (सीएसजीएफ) नामक निधि होगी। किसी क्लीयरिंग सदस्य के निपटान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहने की दशा में सीएसजीएफ का प्रयोग क्लीयरिंग सदस्य के निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए किया जाएगा और निपटान को सामान्य निपटान प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना पूरा किया जाएगा।

2. सीएसजीएफ का कार्पस

1. सीएसजीएफ का कार्पस किसी क्लीयरिंग सदस्य(यों) की असमर्थता के कारण उठने वाली सभी आकस्मिकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त होगा।

2. सीएसजीएफ के कार्पस की मात्रा, ट्रेड परिमाण, डिलीवरी प्रतिशत, क्लीयरिंग सदस्य की अधिकतम निपटान देनदारी, क्लीयरिंग सदस्यों की चूक का इतिहास, क्लीयरिंग सदस्यों की पूंजी पर्याप्तता और क्लीयरिंग कारपोरेशन द्वारा प्रयुक्त सुरक्षा उपायों की सीमा सहित विभिन्न कारकों के कारण सीएसजीएफ के जोखिम या देनदारी को ध्यान में रखते हुए निर्धारित की जाएगी। सीएसजीएफ के कार्पस की उचित मात्रा का निर्धारण करने के उद्देश्य से क्लीयरिंग कारपोरेशन निम्नलिखित कारकों पर विचार करेगा :

(क) लागू जोखिम प्रबंध प्रणाली

(ख) गारंटी के आधार पर क्लीयरिंग कारपोरेशन द्वारा चालू और पूर्वानुमानित परिमाण/कारोबार जिसे समाशोधित और निपटाया जाना है।

(ग) क्लीयरिंग सदस्यों की चूक का ट्रैक रिकार्ड (क्लीयरिंग सदस्यों की चूक की संख्या और चूक की राशि)।

3. सीएसजीएफ का न्यूनतम अपेक्षित कार्पस

संबद्ध प्राधिकारी समय–समय पर सेबी द्वारा विनिर्धारित मानदंडों के अनुसार विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज में प्रत्येक खंड के संबंध में क्लीयरिंग कारपोरेशन के प्रत्येक क्लीयरिंग खंड के लिए सीएसजीएफ का न्यूनतम अपेक्षित कार्पस (एमआरसी) समय–समय पर निर्दिष्ट करेगा।

4. सीएसजीएफ के कार्पस का गठन

सीएसजीएफ के कार्पस में निम्नलिखित शामिल होगा :

(क) विभिन्न अंशदाताओं के अंशदान सीएसजीएफ के लिए विभिन्न अंशदाताओं के अंशदान समय के किसी बिंदु पर निम्नानुसार होंगे :

(i) क्लीयरिंग कारपोरेशन का अंशदान : सीएसजीएफ के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन का अंशदान एमआरसी का कम से कम 50 प्रतिशत होगा। क्लीयरिंग कारपोरेशन इस अंशदान को अपनी स्वयं की निधियों से करेगी। सीएसजीएफ के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन का अंशदान इसके निवल मूल्य के भाग के रूप में माना जाएगा।

(ii) विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का अंशदान : सीएसजीएफ के लिए विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का अंशदान कम से कम 25 प्रतिशत होगा। ऐसे अंशदान को प्रतिभूति संविदा (विनियम) स्टॉक एक्सचेंज और क्लीयरिंग) विनियम, 2012 (एसईसीसी विनियम) के विनियम 33 के अनुसार विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज द्वारा लाभ के अंतरण के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है।

(iii) क्लीयरिंग सदस्य का प्राथमिक अंशदान : क्लीयरिंग कारपोरेशन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन सीएसजीएफ के लिए क्लीयरिंग खंड के क्लीयरिंग सदस्य से जोखिम आधारित अंशदान प्राप्त कर सकता है :

- क्लीयरिंग सदस्यों से कुल अंशदान एमआरसी के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। ऐसा अंशदान सामान्यतः सीएसजीएफ के लिए नकद अंशदान के रूप में होगा। तथापि, क्लीयरिंग कारपोरेशन समय–समय पर सेबी द्वारा विनिर्धारित मानदंडों के अनुसार बैंक मियादी जमा के रूप में क्लीयरिंग सदस्य का अंशदान स्वीकार कर सकता है।

- किसी सदस्य के सीएसजीएफ अंशदान पर कोई प्रकटन उपलब्ध नहीं होगा। इस प्रयोजन के लिए, क्लीयरिंग कारपोरेशन के पास उपलब्ध क्लीयरिंग सदस्य के प्रकटन–मुक्त संपार्श्विक को क्लीयरिंग सदस्य के सीएसजीएफ अंशदान के प्रति माना जा सकता है।

- प्रत्येक क्लीयरिंग सदस्य का अपेक्षित अंशदान प्रणाली में जो जोखिम के लाते हैं, के आनुपातिक आधार पर होगा।

- क्लीयरिंग कारपोरेशन के पास क्लीयरिंग सदस्य के अंशदान को या तो पहले या समय की अवधि के दौरान क्रमबद्ध ढंग से वसूल करने के लिए लचीलापन होगा। क्रमबद्ध अंशदान के मामले में बचा हुआ शेष क्लीयरिंग कारपोरेशन द्वारा पूरा किया जाएगा ताकि सभी समय कुल सीएसजीएफ की पर्याप्तता को सुनिश्चित किया जा सके। क्लीयरिंग कारपोरेशन का ऐसा अंशदान क्लीयरिंग सदस्यों से ओर अंशदान प्राप्त होने पर निकासी के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन को उपलब्ध होगा।

(ख) क्लीयरिंग कारपोरेशन द्वारा लगाया जाने वाला कोई दंड (एसईसीसी विनियमों के विनियम 34 के अनुसार)।

(ग) सीएसजीएफ को नकद अंशदान पर ब्याज सीएसजीएफ को प्राप्त होगा और अंशदाताओं को उनके नकद अंशदान के लिए अनुपात में आनुपातिक आधार पर ठहराया जाएगा।

5. सीएसजीएफ का प्रबंध

(1) क्लीयरिंग कारपोरेशन की चूककर्ता समिति/एसजीएफ उपयोग समिति सीएसजीएफ का प्रबंध करेगी।

(2) क्लीयरिंग कारपोरेशन सीएसजीएफ कार्पस के लिए निवेश नीति के विवेकपूर्ण मानदंडों का पालन करेगा और समय–समय पर सेबी द्वारा विनिर्धारित निवेश मानदंडों के अनुसार सीएसजीएफ कार्पस के निवेश को सुनिश्चित करने के लिए नीतियां और प्रक्रियाएं तैयार और कार्यान्वित करेगा।

6. सीएसजीएफ के लिए पहुंच

क्लीयरिंग कारपोरेशन क्लीयरिंग सदस्यों की असमर्थता की दशा में उनके निपटान दायित्वों को पूरा करने के लिए सीएसजीएफ का उपयोग कर सकता है।

7. सीएसजीएफ को और अंशदान/वापसी

(1) किसी महीने के लिए विभिन्न अंशदानकर्ताओं द्वारा सीएसजीएफ को अपेक्षित अंशदान अंशदानकर्ताओं द्वारा महीने के शुरू होने से पहले किया जाएगा।

(2) क्लीयरिंग कारपोरेशन उपरोक्तानुसार विभिन्न अंशदानकर्ताओं द्वारा किए गए अंशदानों की पर्याप्तता की प्रत्येक महीने की 15 तारीख तक समीक्षा और निर्धारण करेगा और अगले महीने के लिए विभिन्न अंशदानकर्ताओं द्वारा किए जाने वाले यथा अपेक्षित सीएसजीएफ के लिए और किन्हीं अंशदानों की मांग कर सकता है।

(3) किसी कैलेंडर माह के दौरान सीएसजीएफ के प्रयोग की दशा में अंशदानकर्ता उनके व्यक्तिगत अंशदान के प्रयोग के अनुसार सीएसजीएफ के लिए एमआरसी की पुनःपूर्ति करेंगे।

(4) कुछ अंशदानकर्ता (ओं) की ओर से इसके (उनके) अंशदान की पुनःपूर्ति में असमर्थता के मामले में, उसे निम्नलिखित क्रम में महीने के दौरान अस्थायी आधार पर तत्काल पूरा किया जाएगा :

(क) क्लीयरिंग कारपोरेशन द्वारा

(ख) विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज द्वारा

8. चूक प्रपात

चूक प्रपात केवल तभी प्रयोज्य होगा यदि क्लीयरिंग सदस्य के चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्य की धनराशियों के विनियोजन के पश्चात चूककर्ता घोषित किया जाता है।

किसी क्लीयरिंग खंड के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन चूक प्रपात सामान्यतः निम्नलिखित क्रम का पालन करेगा :

(क) चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्य की धनराशियां (जिसमें चूककर्ता सदस्य का सीएसजीएफ (एस) के प्राथमिक अंशदान और अन्य क्लीयरिंग खंडों में चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्य की अतिरिक्त धनराशियां शामिल हैं)।

(ख) बीमा, यदि कोई हो।

(ग) क्लीयरिंग कारपोरेशन के संसाधन (क्लीयरिंग खंड एमआरसी के 5 प्रतिशत के बराबर)।

(घ) क्लीयरिंग खंड का सीएसजीएफ निम्नलिखित क्रम में :

(i) दंड

(ii) क्लीयरिंग कारपोरेशन का अंशदान क्लीयरिंग खंड एमआरसी के कम से कम 25 प्रतिशत की सीमा तक

(iii) शेष सीएसजीएफ : क्लीयरिंग कारपोरेशन का अंशदान, विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का अंशदान और गैर–चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्यों का आनुपातिक आधार पर सीएसजीएफ के लिए प्राथमिक अंशदान।

(ड.) शेष क्लीयरिंग कारपोरेशन संसाधनों का अनुपात (क्लीयरिंग कारपोरेशन का अन्य क्लीयरिंग खंडों का सीएसजीएफ के लिए अंशदान और 100 करोड़ भारतीय रुपए छोड़कर) सभी क्लीयरिंग खंडों के एमआरसी के योग के लिए क्लीयरिंग खंड एमआरसी के अनुपात के बराबर*।

(च) अन्य क्लीयरिंग खंडों का सीएसजीएफ को क्लीयरिंग कारपोरेशन/विनिर्दिष्ट स्टाक एक्सचेंज का अंशदान (उन क्लीयरिंग खंडों के दायित्वों को पूरा करने के पश्चात) और उस सीमा तक शेष क्लीयरिंग कारपोरेशन के साधन जैसाकि सेबी द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं।

(छ) क्लीयरिंग खंड के गैर–चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्यों द्वारा उच्चतम सीमा तक अतिरिक्त अंशदान**।

(ज) किसी शेष हानि को पे–आउट में आनुपातिक कटौती द्वारा कवर किया जाएगा***।

स्पष्टीकरण :

1. *100 करोड़ भारतीय रुपयों की तभी छोड़ा जाएगा जब शेष क्लीयरिंग कारपोरेशन संसाधन (अन्य क्लीयरिंग खंडों के सीएसजीएफ के लिए क्लीयरिंग कारपोरेशन के अंशदान को छोड़कर) 100 करोड़ भारतीय रुपयों से अधिक हैं।

2. **क्लीयरिंग कारपोरेशन गैर–चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्य के लिए अतिरिक्त अंशदान को सीएसजीएफ के लिए उनके अपेक्षित प्राथमिक अंशदान के गुणक तक सीमित करेगा और इस संबंध में ढांचा प्रकट किया जाएगा। गैर–चूककर्ता क्लीयरिंग सदस्यों से मूल्यांकित राशियों की वसूली में कभी के मामले में और हानि को सेबी के अनुमोदन से परत ''च'' को आबंटित किया जा सकता है।

3. ***यदि हानि आबंटन को पे–आउट की कटौती के माध्यम से किया जाता है तो निधियों का बाद में उपयोग सेबी के पूर्व अनुमोदन से होगा। इसके अलावा, क्लीयरिंग कारपोरेशन पोस्ट द्वारा इस परत का प्रयोग करके कोई निकास लोक हित में सेबी द्वारा निर्णय की गई शर्तों के अनुसार होगा।

9. दबाव जांच और बैक जांच

क्लीयरिंग कारपोरेशन, क्रेडिट जोखिम, नकदी दबाव जांच, विपरीत दबाव जांच के लिए दबाव जांच और मार्जिनों की पर्याप्तता के लिए बैक जांच और ऐसी अन्य जांच जो समय–समय पर सेबी द्वारा विनिधारित मानदंडों के अनुसार उपयुक्त हों, करेगा।

उद्धरण चिन्ह बंद

2. उपर्युक्त के परिणामस्वरूप, यह प्रस्ताव है कि निम्न में ''निपटान निधि'' या ''निपटान गारंटी निधि'' या ''एसजीएफ'' शब्द को ''मूलभूत निपटान गारंटी निधि'' शब्द द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए।

(i) एनएससीसीएल उप–विधियों (फ्यूचर एंड आप्शन खंड) के अध्याय I की उप–विधि 17 और अध्याय–IV की उप–विधि 2(13);

(ii) एनएससीसीएल नियम (फ्यूचर एंड आप्शन खंड) के अध्याय I का नियम 10, अध्याय–IV का नियम 5(5), 11 और 12 तथा अध्याय–V का नियम 5 ; और

(iii) एनएससीसीएल (फ्यूचर एंड आप्शन खंड) विनियम के अध्याय 5क का विनियम 5क, 4.1.2.2.क (4) और अध्याय 6 का विनियम 6.14।

कृते नेशनल सिक्योरिटीज क्लीयरिंग कारपोरेशन लिमिटेड

आर. जयकुमार
कंपनी सचिव

टिप्पणी : हिन्दी पाठ में अंतर की दशा में अंग्रेजी पाठ अभिभावी होगा।

NATIONAL SECURITIES CLEARING CORPORATION LIMITED
Mumbai – 400051

As per the requirements of Rule 18 of Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, the proposed amendments to the Byelaws (Futures & Options segment) of the National Securities Clearing Corporation Limited, as given hereunder, is published for criticism in accordance with the provisions of Section 23 of the General Clauses Act, 1897 in the official Gazette of India. Any person having any observations on the proposed amendments to the Byelaws (Futures & Options segment) can send the same in writing to the undersigned at Exchange Plaza, Plot C-1, Block G, Bandra–Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai – 400 051 within fifteen days from the date of this publication in the Gazette. The observations received after the aforementioned period of 15 days will not be considered when the proposed amendments will be taken for consideration.

1. It is proposed to substitute the entire existing Chapter XII with the following new Chapter XII:-

Quote

CHAPTER XII: CORE SETTLEMENT GUARANTEE FUND

1. Objective of the Core Settlement Guarantee Fund (CSGF)

The Clearing Corporation shall have a fund called Core Settlement Guarantee Fund (CSGF) for each clearing segment with respect to each segment of the Specified Stock Exchange to guarantee the settlement of trades executed in the respective segment of the Specified Stock Exchange. In the event a Clearing Member fails to fulfil the settlement obligations, the CSGF shall be used to fulfil the settlement obligations of the Clearing Member and complete the settlement without affecting the normal settlement process.

2. Corpus of the CSGF

(1) The corpus of the CSGF shall be adequate to meet out all the contingencies arising on account of failure of any Clearing Member(s).

(2) The quantum of the corpus of the CSGF shall be determined by taking into consideration the risk or liability to the CSGF on account of various factors including trade volume, delivery percentage, maximum settlement liability of the Clearing Members, the history of defaults of the Clearing Members, capital adequacy of the Clearing Members and the degree of safety measures employed by the Clearing Corporation. In order to assess the fair quantum of the corpus of the CSGF, the Clearing Corporation shall consider the following factors:

a) Risk management system in force

b) Current and projected volume/turnover to be cleared and settled by the Clearing Corporation on guaranteed basis

c) Track record of defaults of the Clearing Members (number of defaults and amount in default of the Clearing Members)

3. Minimum Required Corpus of the CSGF

The Relevant Authority shall specify from time to time the Minimum Required Corpus (MRC) of the CSGF for each clearing segment of the Clearing Corporation with respect to each segment of the Specified Stock Exchange in accordance with the norms prescribed by SEBI from time to time.

4. Constitution of the Corpus of CSGF

The corpus of CSGF shall consist of the following:

a) Contributions of various contributors:

The contributions of various contributors to the CSGF at any point of time shall be as follows:

i. Clearing Corporation's contribution: The Clearing Corporation's contribution to CSGF shall be at least 50% of the MRC. The Clearing Corporation shall make this contribution from its own funds. The Clearing Corporation's contribution to CSGF shall be considered as part of its net worth.

ii. Specified Stock Exchange's contribution: The Specified Stock Exchange's contribution to CSGF shall be at least 25% of the MRC. Such contribution can be adjusted against the transfer of profit by the Specified Stock Exchange as per Regulation 33 of Securities Contracts (Regulation) (Stock Exchanges and Clearing Corporations) Regulations, 2012 (SECC Regulations).

iii. Clearing Member's primary contribution: The Clearing Corporation may seek risk based contribution from Clearing Members of the clearing segment to the CSGF subject to the following conditions:

- The total contribution from the Clearing Members shall not be more than 25% of the MRC. Such contribution shall ordinarily be in the form of cash contribution to CSGF. However, the Clearing Corporation may accept the Clearing Member's contribution in the form of bank fixed deposits in accordance with the norms prescribed by SEBI from time to time.
- No exposure shall be available on CSGF contribution of any Clearing Member. For this purpose, the exposure-free collateral of the Clearing Member available with the Clearing Corporation can be considered towards CSGF contribution of the Clearing Member.
- The required contribution of each Clearing Member shall be pro-rata based on the risk that they bring to the system.
- The Clearing Corporation shall have the flexibility to collect the Clearing Member's primary contribution either upfront or staggered over a period of time. In case of staggered contribution, the remaining balance shall be met by the Clearing Corporation to ensure adequacy of total CSGF corpus at all times. Such Clearing Corporation contribution shall be available to the Clearing Corporation for withdrawal as and when further contributions from the Clearing Members are received.

b) Any penalties levied by the Clearing Corporation (as per Regulation 34 of SECC Regulations.)

c) Interest on cash contribution to CSGF shall accrue to the CSGF and pro-rata attributed to the contributors in proportion to their cash contribution.

5. Management of CSGF

(1) The Defaulters' Committee/SGF utilization Committee of the Clearing Corporation shall manage the CSGF.

(2) The Clearing Corporation shall follow prudential norms of investment policy for the CSGF corpus and establish and implement policies and procedures to ensure that the CSGF corpus is invested in accordance with the investment norms prescribed by SEBI from time to time.

6. Access to CSGF

The Clearing Corporation may utilise the CSGF in the event of a failure of the Clearing Members to fulfil their settlement obligations.

7. Further contribution to / Recoupment of CSGF

(1) The requisite contributions to the CSGF by various contributors for any month shall be made by the contributors before start of the month.

(2) The Clearing Corporation shall review and determine by 15th of every month the adequacy of contributions made by various contributors as above and call for any further contributions to the CSGF as may be required to be made by various contributors for the next month.

(3) In the event of usage of the CSGF during a calendar month, the contributors shall, as per usage of their individual contribution, immediately replenish the CSGF to MRC.

(4) In case there is failure on part of some contributor(s) to replenish its (their) contribution, the same shall be immediately met, on a temporary basis during the month, in the following order:

a) By Clearing Corporation

b) By Specified Stock Exchange

8. Default waterfall

The Default waterfall shall become applicable only in case the Clearing Member is declared a defaulter after appropriation of the monies of the defaulting Clearing Member.

The default waterfall of the Clearing Corporation for any clearing segment shall generally follow the following order –

a) Monies of the defaulting Clearing Member (including the defaulting Clearing Member's primary contribution to the CSGF(s) and excess monies of the defaulting Clearing Member in other clearing segments.)

b) Insurance, if any.

c) Clearing Corporation resources (equal to 5% of the clearing segment MRC).

d) CSGF of the clearing segment in the following order:

i. Penalties

ii. Clearing Corporation's contribution to the extent of at least 25% of the clearing segment MRC

iii. Remaining CSGF: Clearing Corporation's contribution, Specified Stock Exchange's contribution and non-defaulting Clearing Members' primary contribution to CSGF on pro-rata basis.

e) Proportion of remaining Clearing Corporation resources (excluding Clearing Corporation's contribution to CSGFs of other clearing segments and INR 100 Crore) equal to ratio of clearing segment MRC to sum of MRCs of all clearing segments.*

f) Clearing Corporation/Specified Stock Exchange contribution to CSGF of other clearing segments (after meeting obligations of those clearing segments) and remaining Clearing Corporation resources to that extent as approved by SEBI.

g) Capped additional contribution by non-defaulting Clearing Members of the clearing segment.**

h) Any remaining loss to be covered by way of pro-rata haircut to pay-outs. ***

Explanation

1. * INR 100 Crore to be excluded only when remaining Clearing Corporation resources (excluding Clearing Corporation contribution to CSGFs of other clearing segments) are more than INR 100 Crore.

2. **Clearing Corporation shall limit the liability of non-defaulting Clearing Members towards additional contribution to a multiple of their required primary contribution to CSGF and the framework regarding the same shall be disclosed. In case of shortfall in recovery of assessed amounts from non-defaulting Clearing Members, further loss can be allocated to layer 'f' with approval of SEBI.

3. ***In case loss allocation is effected through haircut to payouts, any subsequent usage of funds shall be with prior SEBI approval. Further, any exit by Clearing Corporation post using this layer shall be as per the terms decided by SEBI in public interest.

9. Stress Testing and Back Testing

The Clearing Corporation shall conduct stress tests for credit risk, liquidity stress test, reverse stress test, back testing for adequacy of margins and such other tests as may be appropriate in accordance with the norms prescribed by SEBI from time to time.

Unquote

2. As a consequence of the above, it is proposed to substitute the term 'Settlement Fund' or 'Settlement Guarantee Fund' or 'SGF' with the term 'Core Settlement Guarantee Fund' in

(i) Byelaw 1**7** of Chapter 1 and Byelaw 2(13) of Chapter IV of NSCCL Byelaws (Futures & Options segment);

(ii) Rule 10 of Chapter 1, Rules 5(5), 11 and 12 of Chapter IV and Rule 5 of Chapter V of NSCCL Rules (Futures & Options segment); and

(iii) Regulation 5A 4.1.2.2.A(4) of Chapter 5A and Regulation 6.14 of Chapter 6 of NSCCL (Futures & Options Regulations.

For National Securities Clearing Corporation Limited

R. Jayakumar
Company Secretary

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2015

PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS, N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2015

www.dop.nic.in

DOPGIPF—[PART IV]—115 + 25=140 Copies.